



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

याचिका संख्या. 447 / टीएल / 2019

दिनांक : 24.01.2020

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के आधार पर 'गुजरात में भुज-1। (2000 मेगावाट) पर आरई परियोजनाओं को संयोजकता प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली' के निर्माण के लिए भुज-1। पारेषण लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016 द्वारा आवेदन किया गया है:

क्र.सं.	पारेषण घटक का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
1.	765 किलोवाट (1x330 एमवीएआर) एवं 420 किलोवाट (125 एमवीएआर) बस रिएक्टर के साथ 2X1500 एमवीए (765/400 किलोवाट), 4X500 एमवीए (400/200 किलोवाट) भुज-1। पीएस (जीआईएस) (2X1500 एमवीए (765/400 किलोवाट), 4X500 एमवीए (400/220 किलोवाट), 1X500 एमवीए (765/400 किलोवाट), 1-पीएच आईसीटी (अतिरिक्त यूनिट) 400 किलोवाट आईसीटी बेज : 6 संख्या 765 किलोवाट आईसीटी बेज : 2 संख्या 220 किलोवाट आईसीटी बेज : 4 संख्या 765 किलोवाट लाइन बेज : 4 संख्या 220 किलोवाट लाइन बेज : 7 संख्या 1X330 एमवीएआर-765 किलोवाट 1X110 एमवीएआर-765 किलोवाट, 1 पीएच रिएक्टर (अतिरिक्त यूनिट) 1X125 एमवीएआर-420 किलोवाट 765 किलोवाट रिएक्टर बेज : 1 संख्या 400 किलोवाट रिएक्टर बेज : 1 संख्या भावी प्राक्धान: निम्नलिखित के लिए स्थान: बेज के साथ 765/400 किलोवाट आईसीटी: 2 संख्या बेज के साथ 400/220 किलोवाट आईसीटी: 5 संख्या 765 किलोवाट लाइन बेज: 4 संख्या 400 किलोवाट लाइन बेज: 6 संख्या 220 किलोवाट लाइन बेज: 4 संख्या बेज के साथ 765 किलोवाट बस रिएक्टर : 1 संख्या बेज के साथ 400 किलोवाट बस रिएक्टर : 1 संख्या	31 दिसम्बर, 2020
2.	भुज-भुज-1। 765 किलोवाट डी/सी लाइन के साथ-साथ भुज पीएस-लकाडिया पीएस 765 किलोवाट डी/सी लाइन का पुनराभिविन्यास	
3.	भुज-1। लकाडिया 765 किलोवाट डी/सी लाइन (भुज छोर पर 2X240 एमवीएआर, 400 ओएचएम एनजीआर के साथ 765 किलोवाट, 765 किलोवाट रिएक्टर बेज-2 संख्या, 1X80 एमवीएआर, 765 किलोवाट, 1-पीएच स्विचबल लाइन रिएक्टर (अतिरिक्त यूनिट)) के भुज-1। पीएस छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1X240 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर	

- आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 1237.67 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रमारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।
- केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सिफारिश की है।
- रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 447 / टीएल / 2019 में दिनांक 24.1.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।
- भुज-1। पारेषण लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.powergridindia.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 12.2.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आवेदन को यथासमय पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/-
(सनोज कुमार झा)
सचिव